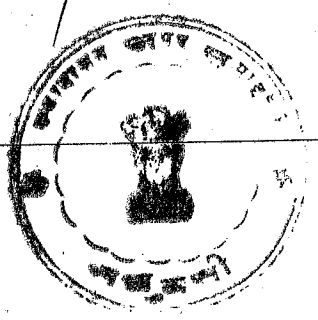

न्यायालय अपर समाहर्ता मधुबनी
भू-हदबंदी अधिनियम की धारा 16(3) अधीन वाद सं० 33/17-18
(म) सीताशरण ठाकुर बनाम
रामबहादुर ठाकुर वगैरह

आदेश का कम सं.तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई
13.6.18	आवेदक का वकालतनामा पेश किया। प्रतिपक्षी का वकालतनामा पेश किया। L.C.R. प्राप्त है। आगे प्रतिरक्षण हेतु पहला। दिनांक 23.6.18 को	
23.6.18	उभय पक्ष अनुपस्थित। दिनांक 7.7.18 को पेश।	
7.7.18	उभय पक्षों की ओर से वकालतनामा पेश किया है। पीठासीन पदाधिकारी अवकाश पर दिनांक 11.7.18 को उपस्थित	
11.7.18	उभय पक्षों का वकालतनामा पेश किया है। L.C.R. प्राप्त है। दोनों पक्षों का सुलहनामा आवेदन 7.6.18 को दाखिल किया गया परन्तु पक्षकारों की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। पक्षकारों को सदेह उपस्थिति का निदेश दिया गया था। ~~दोनों~~ उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित। वाद में सुलह होने का सुलहनामा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी सम्पुष्ट की गयी। इस प्रकार इस वाद की कार्यवाही बन्द की जाती है। 11.7.18	[illegible] 12.7.18

अपर समाहर्ता
मधुबनी